भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4263
दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय क्रेच योजना

4263. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेशः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा बजट में महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान किया गया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना के अंतर्गत किए गए प्रावधानों और किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय क्रेच योजना के वित्तपोषण में कटौती कर दी है;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(च) क्या सरकार ने कई क्रेचों को अनुदान का भुगतान नहीं किया है; और
(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (ख): वित्तीय वर्ष 2024-25 में, कुल 43 मंत्रालयों/विभागों/संघ राज्य क्षेत्रों ने महिलाओं और लड़कियों के लिए 3.27 लाख करोड़ रुपये का आवंटन सूचित किया जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2.38 लाख करोड़ रुपये के आवंटन से 37.3% अधिक है। कुल केंद्रीय बजट में जेंडर बजट का हिस्सा वित्त वर्ष 2023-24 में 5.3% से बढ़कर 2024-25 में 6.8% हो गया है जो स्थापना के बाद से सबसे अधिक है। यह बढ़ा हुआ आवंटन आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है।

(ग) से (छ): कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना (आरजीएनसीएस) राष्ट्रीय क्रेच निधि को कामकाजी/बीमार महिलाओं के बच्चों के क्रेच के

लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता योजना के साथ मिलाकर 1 जनवरी 2006 से एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू की गई थी। इस योजना को केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सीएसडब्लूबी) और दो स्वैच्छिक संगठनों, अर्थात् भारतीय बाल कल्याण परिषद (आईसीसीडब्लू) और भारतीय आदिम जाति सेवक संघ (बीएजेएसएस) के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया था। इस योजना का वित्तपोषण पैटर्न 90:10 था जिसमें 90 केंद्र और 10 कार्यान्वयन एजेंसी थी जो स्वैच्छिक संगठन थे। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें इस योजना में हितधारक नहीं थीं, इसलिए इनकी निगरानी और पर्यवेक्षण अपर्याप्त था। तत्पश्चात, 31 दिसंबर 2016 से आरजीएनसीएस को बंद कर दिया गया।

01.01.2017 से 31.03.2022 तक, क्रेच सेवाएं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पूर्ववर्ती 'कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राष्ट्रीय क्रेच योजना' (एनसीएस), एक केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से प्रदान की गईं जिसमें कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से स्टैंड-अलोन क्रेच संचालित किए जा रहे थे।

नीति आयोग के मूल्यांकन के अनुसार, जिस पर मिशन शक्ति के लिए व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा सहमति दी गई थी, यह देखते हुए कि अधिकांश राज्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि वे अलग-अलग स्टैंड-अलोन क्रेच के बजाय आंगनवाड़ी-सह-क्रेच (एडब्ल्यूसीसी) चलाना पसंद करते हैं, यह सिफारिश की गई थी कि क्रेच का निकटतम आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ विलय कर दिया जाए और एडब्ल्यूसीसी के रूप में चलाया जाए।

तदनुसार, मंत्रालय ने 01 अप्रैल 2022 से मिशन शक्ति के अंतर्गत *पालना* योजना शुरू की ताकि बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष की आयु तक) के लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण क्रेच सुविधा प्रदान की जा सके। पालना की केंद्र प्रायोजित योजना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की भागीदारी सुनिश्चित करती है ताकि दिन-प्रतिदिन बेहतर निगरानी और योजना का उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके, और इसे केंद्र और राज्य सरकारों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 60:40 के वित्तपोषण अनुपात के साथ लागू किया जाता है, सिवाय पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के, जहां अनुपात 90:10 है। विधानमंडल के बिना संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्तपोषण प्रदान किया जाता है।

पालना डे-केयर क्रेच सुविधाएं प्रदान करके कामकाजी माताओं द्वारा अपने बच्चों को उचित बाल देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने में आने वाली समस्याओं का समाधान करता है। क्रेच सेवाएं बाल देखभाल जिम्मेदारियों को औपचारिक बनाती हैं जिन्हें अब तक घरेलू काम का हिस्सा माना जाता था। देखभाल कार्य को औपचारिक बनाना सतत विकास लक्ष्य 8 - सभ्य कार्य और आर्थिक विकास हासिल करने के लिए "सभ्य कार्य अभियान" का समर्थन करता

है। इससे अधिक माताएं भी सक्षम होंगी, जो अवैतनिक बाल-देखभाल जिम्मेदारियों से मुक्त होंगी, और लाभकारी रोजगार अपना सकेंगी।

आंगनवाड़ी केंद्र दुनिया के सबसे बड़े बाल देखभाल संस्थान हैं जो बच्चों को आवश्यक देखभाल और सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित हैं जिससे अंतिम लाभार्थी तक देखभाल सुविधाएं सुनिश्चित होती हैं। अपनी तरह के पहले दृष्टिकोण में, मंत्रालय ने आंगनवाड़ी-सह-क्रेच (एडब्ल्यूसीसी) के माध्यम से बाल देखभाल सेवाओं का विस्तार किया है। यह पूरे दिन बाल देखभाल सहायता सुनिश्चित करेगा और सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में उनका कल्याण सुनिश्चित करेगा। आंगनवाड़ी-सह-क्रेच पहल का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में 'महिला कार्यबल भागीदारी' को बढ़ाना है। पालना का उद्देश्य बच्चों (6 महीने से 6 साल की उम्र तक) के लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में गुणवत्ता वाले क्रेच की सुविधा, पोषण संबंधी सहायता, बच्चों का स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक विकास, विकास की निगरानी और टीकाकरण प्रदान करना है। पालना के तहत क्रेच की सुविधा सभी माताओं को प्रदान की जाती है, चाहे उनकी रोजगार स्थिति कुछ भी हो।

पिछले पांच वर्षों के दौरान पालना (तथा कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए पूर्ववर्ती राष्ट्रीय क्रेच योजना) के अंतर्गत आवंटित राशि तथा किए गए व्यय का विवरण इस प्रकार है:

(राशि करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
आवंटित की गई राशि	50	15	4.02	35	85	150.11
किया गया व्यय	47.77	11.6	0	4.68	64.15	43.01*

** 19.12.2024 तक*

******